"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 मई 2002—ज्येष्ठ 7, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-52/2002/वाक/पांच (65).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-10/2001/वाक/पांच (4), दिनांक 30 मार्च, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 9 के पश्चात् निम्न प्रविष्टि स्थापित की जाये.

10. वेक्सीन, अर्थात् :—

(i) एन्टी रेबीज

(ii) एन्टी स्नेक वेनम

(iii) फेक्टर-VIII

(iv) एन्टी-आर एच (एन्टी-डी)

(v) हेपीटाइटिस-बी
(vi) डी.पी.टी.
(vii) ओरल पोलियो
(viii) बी. सी. जी.
(ix) गैस गेंगरिन एन्टी टाक्सिन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2002

क्रमांक एफ-10-52/2002/वाक/पांच (65).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-52/2002/वाक/पांच (65), दिनांक 28-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 28th May 2002

NOTIFICATION

No. F-10-52/2002/CT/V (65).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification No. F-10-10/2001/CT/V (4), dated 30th March 2001, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, after serial number 9, the following serial number shall be inserted.

10. Vaccienes, that is to say :—

(i) Anti Rabies
(ii) Anti Snake Venom
(iii) Factor-VIII
(iv) Anti-RH (Anti-D)
(v) Hapititis-B
(vi) D.P.T.
(vii) Oral Polio
(viii) B.C.G.
(ix) Gas Gangreene Anti toxin

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.